प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 09.09.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 25,000/- रू0 के ईनामी हत्यारोपी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोनू पुत्र श्री उदयवीर निवासी ग्राम बाघू थाना व जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. आनन्द पुत्र इन्द्रराज, 2. विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्योराज, 3. अनमोल पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई अंकुर की मो0सा0 नं0 *UP-17E-3555* में अपनी गाडी सैन्ट्रो नं0 *DL-3CBP-1738* से टक्कर मार दी तथा उसके भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- दिनांक 07.09.25 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1-करण पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत, 2-

ताराचन्द पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 25,000/- रू0 के ईनामी हत्यारोपी 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0539/2025 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल व समय- दिनांक 08.09.2025 समय 23.05 बजे, सरूरपुर सूजरा रोड दिल्ली देहरादून हाईवे के अण्डरपास के निकट थाना कोतवाली बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्योराज निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत (घायल)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 387/25 धारा 189(2)/191(2)/191(3)/285/132/125/126(2)/61(बी) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 8बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।
- एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- निरीक्षक श्री तपेश्वर सागर प्रभारी स्वाट टीम जनपद बागपत।

3- उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4- उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5- उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6- उ0नि0 श्री अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7- है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

8- है0का0 370 इरशाद अहदम स्वाट टीम जनपद बागपत।

9- है0का0 469 नरेन्द्र नागर स्वाट टीम जनपद बागपत।

10- है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत

11- है0का0 586 राकेश भाटी स्वाट टीम जनपद बागपत।

12- का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत।

13- का0 402 विशाल पूनिया स्वाट टीम जनपद बागपत।

14- का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

15- का0 129 दुष्यन्त कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

16- का0 1080 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 09.09.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 73 पव्वे अवैध देशी शराब व 1300 रुपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 73 पव्वे अवैध देशी शराब व 1300 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 540/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 73 पव्वे अवैध देशी शराब व 1300 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- आबकारी निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्र -1 बागपत।
2- उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4- है0का0 दिनेश कुमार आबकारी विभाग बागपत।
5- आरक्षी बैभव कुमार आबकारी विभाग बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर   दिनाँक 09.09.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 160/25 धारा 281/125बी/106(1)/ 324(4) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री लोकिंदर उर्फ लोकेन्द्र पुत्र स्व0 अमिलाल निवासी ग्राम मुकंदपुर ओगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि ट्रक नम्बर UP-19T-2202 के चालक

नाम पता अज्ञात द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके लड़के की मोटरसाईकिल नम्बर UP-17AA-3367 में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे वादी का लड़का अंकुर ढाका व उसके दोस्त अभिषेक के गम्भीर चोट आयी व इलाज के दौरान उसके लड़के की मृत्यु हो गयी व मोटरसाईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 160/25 धारा 281/125बी/106(1)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अतरेश पाल पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम निरोजपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 160/25 धारा 281/125बी/106(1)/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अतरेश पाल पुत्र सुखवीर निवासी निरोजपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत

2-है0का0 349 नरेन्द्र कुमार, थाना चांदीनगर जनपद बागपत

थाना छपरौली

जनपद बागपत **दिनाँक 09.09.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 211/25 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 211/25 धारा 65(1)/137(2) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

रोहित पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना छपरौली।

2-है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली।

3-का0 976 लवकुश थाना छपरौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 09.09.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 0 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सावन पुत्र सुभाष निवासी मौहल्लू पट्टी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 0 जिन्दा कारतूस .12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बड़ौत।

2-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बड़ौत।

3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बड़ौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 09.09.2025

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जितेन्द्र पुत्र करतारा निवासी आचार्यखेडा थाना रमाला जनपद बागपत।

2-प्रवीण पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत।

3-प्रदीप पंवार पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-साबू उर्फ साबूदीन पुत्र बाबू निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-गौरव उर्फ भूरा पुत्र साहब सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना रमाला पुलिस टीम। (02 वारंटी)

2-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (01 वारंटी)

3-थाना बड़ौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)

4-थाना दोघट पुलिस टीम। (01 वारंटी)

उत्तर प्रदेश पुलिस